(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (REV.-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

No. F.12(6)/Fin(Rev.-I)/2010-11/

Dated

NOTIFICATION

No. F.12(6)/Fin(Rev.-I)/2010-11/ - In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Delhi Tax on Luxuries (Amendment) Act, 2010 (Delhi Act 11 of 2010), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, appoints the 20th day of September, 2010, as the date on which the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(ARVIND JAIN) DEPUTY SECRETARY-II (FINANCE)

No. F.12(6)/Fin(Rev.-I)/2010-11/-D-57 4257

Dated 17-9-10

Copy forwarded to: -

- 1. The Pr. Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi (in duplicate with Hindi version) with the request to publish the order in the Delhi Gazette part-IV extraordinary in tcday's date.
- 2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
- 3. The Principal Secretary to the Chief Minister, Govt. of National Capital Territory of Delhi.
- 4. The Secretary to Finance Minister, GNCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 5. The P.A. to the Leader of Opposition,29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi
- 6/ The Commissioner, Excise, Entertainment and Luxury Tax Department, New Delhi.
- 7. The Special Secretary (Law), GNCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 8. The OSD to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
- 9. Guard File.
- 10. Website.

(ARVIND JAIN) DEPUTY SECRETARY-II (FINANCE) Phone: 23392472

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (राजस्व–1) विभाग चौथा तल, ए–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–02.

दिनांकः

संठफा० 12(06)/वित्त (राजस्व-1)/2010-11/

अधिसूचना

सं0फा0 12(06)/वित्त (राजस्व–1)/2010–11/ :- दिल्ली विलासिता कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 1 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद द्वारा वर्ष 2010 के सितम्बर माह के बीक्तेंद्व दिन को नियत करते हैं यह वह तिथि हैं, जिस तिथि से उक्त अधिनियम प्रभावी होगा।

> दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

(अरविन्द जैन) उप– सचिव–II (वित्त)

दिनांकः 17-9-10

- प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग–4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।
- 2. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राज निवास, दिल्ली।
- 3. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 4. सचिव, वित मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 5. , नि०सं०, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 6/ आयुक्त, आबकारी मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग, आई०पी०एस्टेट, नई दिल्ली।
- 7. विशेष सचिव (विधे एवं न्यायं), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 9. गार्ड फाईल।
- 10. वेबसाईट।

(अर्थिन्द जैन) उप– सचिव–II (वित्त) दूरभाष संख्याः 23392472